न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 20/2020 वाद

जरीना बेगम पत्नी मोहम्मद फारूख खान मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी सावा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीया

//बनाम//

1. मोहम्मद फारूख खान पिता गुलबाज खान मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी सावा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. रामलाल पिता शम्भुलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी साण्ड, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि.

श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया, अधिवक्ता वादीया उपस्थित

निर्णय

दिनांक 15.09.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीया ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा साण्ड तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 60 की आराजी नं. 679 रकबा 5.1000 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादीया का 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है और उसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। मौके पर बाहमी तौर पर आपस में बंटवारा कर रखा है परन्तु कोई विधिवत बंटवारा पक्षकारान के मध्य नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में रकबे की कमी बेशी व लगान को लेकर आए दिन खातेदारों के मध्य विवाद होता रहता है। वादीया ने प्रतिवादीगण से हक हिस्से व मौके पर काबिज अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करने को कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिए मजबुरन वादीया को यह दावा बंटवारा आराजीयात का प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीया का दावा डिक्री फरमाया जावे तथा प्रश्नगत आराजीयात का बंटवारा वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार करवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:28:42 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत किया तथा रेकार्ड एवं मौके अनुसार बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम साण्ड की खाता संख्या 60 की प्रमाणित प्रति व ग्राम साण्ड का नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। नकल जमाबन्दी अनुसार आराजी नं. 679 रकबा 5.1000 हैक्टेयर भूमि में वादीया का 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हक हिस्सा अंकित है। इसी अनुसार काबिज काश्त होना बताया है। प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार उक्त आराजीयात वर्तमान में एकचक है। पक्षकारान उक्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं जिन्हें अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि का विधिवत बंटवारा कराने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट की है। ऐसी स्थिति में वादीया का दावा डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादीया प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि मौजा साण्ड की खाता संख्या 60 की आराजी नं. 679 का बंटवारा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावे। फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.10.2020 तक प्रस्तुत हो। फीस कमिश्नर वादीया से वसूल की जावे। पत्रावली वास्ते देखने फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत हो।

यह आज तारीख 15.09.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर पृथक से कम्प्युटराईज करवाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 20/2020 वाद

जरीना बेगम पत्नी मोहम्मद फारूख खान मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी सावा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीया

//बनाम//

1. मोहम्मद फारूख खान पिता गुलबाज खान मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी सावा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. रामलाल पिता शम्भुलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी साण्ड, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि.

पत्रावली में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीया प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि मौजा साण्ड की खाता संख्या 60 की आराजी नं. 679 का बंटवारा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावे। फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.10.2020 तक प्रस्तुत हो। फीस कमिश्नर वादीया से वसूल की जावे। पत्रावली वास्ते देखने फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत हो।

यह आज तारीख 15.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested